

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937

No. 326]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सं. 48/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैराग्राफ 4.76 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/52/एम 16/पीसी-4.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैराग्राफ 4.76 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

2. उक्त पैरे के अंतिम वाक्य में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है:-

मौजूदा वाक्य :

“जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.43 में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।”

संशोधित वाक्य :

“जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.42 अथवा 4.43 में, **जैसा भी मामला हो**, शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।”

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

इस संशोधन के साथ प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैराग्राफ 4.76 में विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 4.42 में दर्शाई गई प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने/अधिकार-पत्र हेतु आवेदनों की प्रक्रिया हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल की जाएगी।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 16th December, 2015

No. 48 /2015—2020**Subject: Amendment in paragraph 4.76 of Handbook of Procedures 2015—2020.**

F. No. 01/94/180/52/AM 16/PC-4.—In exercise of powers conferred under Para 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015—20, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in paragraph 4.76 of the Handbook of Procedures 2015—20:—

2. Last sentence of paragraph is amended as below with immediate effect:—

Existing sentence:

“Based on the Inspection Report and recommendations of the GJEPC, the concerned laboratory would be considered for inclusion in paragraph 4.43 of FTP.”

Amended sentence:

“Based on the Inspection Report and recommendations of the GJEPC, the concerned laboratory would be considered for inclusion in paragraph **4.42 or 4.43 of FTP as the case may be.**”

3. Effect of this Public Notice:

With this amendment, paragraph 4.76 of the Handbook of Procedures 2015—20 will also cover the procedure to be followed for processing applications for enlistment/authorisation of Laboratories stated in paragraph 4.42 of FTP 2015—2020.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade